

प्ररूप - एक

(नियम 7 देखिये)

एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में
अनुज्ञप्ति देने के लिये/अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन

आवेदन क्रमांक

दिनांक

प्रति,

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी,

.....

.....

1. आवेदक/फर्म का नाम तथा पता,, जो मण्डी क्षेत्रों में कारबार करना चाहता है।
2. आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता
दूरभाष क्रमांक
3. आवेदक व्यक्ति (इंडिविज्यूअल) से भिन्न हो तो फर्म/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/कम्पनी सोसायटी,
समस्त कार्यकर्ता/भागीदार/संचालक के नाम एवं पूर्ण पते.

नाम (1)	पिता का नाम (2)	आयु (3)	पता (4)	दूरभाष नं० (5)	पुलिस स्टेशन का नाम (6)

4. यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/सहकारी सोसायटी है तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख.
5. आवेदक व्यापारी है या प्रसंस्करणकर्ता, एक्सचेंज-
(व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज)
6. पूर्ववर्ती वर्ष का अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि कोई हो)
7. आवेदक का वाणिज्यिक कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक टी0आई0एन0 क्रमांक तथा केन्द्रीय आबकारी
कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक।
8. आवेदक का आयकर का स्थायी खाता क्रमांक
(पी0ए0एन0) (कृपया छायाप्रति संलग्न करें)
9. मध्यप्रदेश में स्थित उस बैंक का नाम, जिसमें आवेदक का खाता है :

अनुक्रमांक	बैंक तथा ब्रांच का नाम/शाखा	खाते का प्रकार	खाता क्रमांक	बैंक खाते में आवेदक के तारीख को जमा रकम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(कृपया उपलब्ध निधि के प्रमाण के रूप में शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित समस्त बैंक खातों की छायाप्रति संलग्न करें)

10. आवेदक, फर्म आदि द्वारा मध्यप्रदेश में विनिधान की गई पूँजी (कृपया विवरण दें) :-

11. उन मण्डी क्षेत्रों का नाम, जिनमें आवेदक द्वारा कारबार प्रस्तावित है :-

अनुक्रमांक	मण्डी क्षेत्र का नाम	संबंधित मण्डी समिति का नाम	मण्डी क्षेत्र में क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि उपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा नियम 4(2) देखिये	
			कृषि उपज का नाम	वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अनुमानित मात्रा (मेट्रिक टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

12. यथा उपदर्शित मण्डी क्षेत्रों में आवेदक द्वारा प्रस्तावित क्रय केन्द्रों का नाम -
कृपया अभिन्यास (ले-आउट) संलग्न करें,

अनुक्रमांक	दर्शित मण्डी क्षेत्र का नाम	दर्शित प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों का क्रमांक तथा नाम	क्रय केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक का नाम, पता, दूरभाष नं०	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित क्रय केन्द्र पर क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि उपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा (मेट्रिक टन में)		अभ्युक्ति
				कृषि उपज का नाम	अनुमानित मात्रा (मेट्रिक टन में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

13. आवेदक द्वारा क्रय केन्द्र पर सृजित की गई सुविधाओं की जानकारी -

(नियम 10 देखें)

- क. इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज
- ख. पेयजल की व्यवस्था
- ग. समुचित प्रकाश की व्यवस्था
- घ. भुगतान काउन्टर/कार्यालय
- ङ. नमी/कचरा/क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति
- च. कृषकों के विश्राम हेतु छायादार विश्राम स्थल
- छ. पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
- ज. ट्रैक्टर-ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था
- झ. शेड की व्यवस्था

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामलों में -

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म, (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा (तीन) सुपुर्दगी केन्द्र

14. अनुक्रमांक 12 में दर्शाये गये क्रय केन्द्र का अभिन्यास (ले-आउट), उपलब्ध गोदाम की संख्या तथा भण्डारण क्षमता- (सूची संलग्न करें तथा गोदाम के स्वामी के नाम आदि की जानकारी दें)

अनुक्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	उपलब्ध गोदाम	गोदाम का स्थान	गोदाम के स्वामी का नाम	स्थान/स्थिति	भूमि आदि की विशिष्टियाँ यदि भूमि उपलब्ध हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

15. अनुक्रमांक 11 और 12 के अनुसार अनुमोदित क्रय केन्द्रों पर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा- (सूची संलग्न करें)

अनुक्रमांक	मण्डी का नाम	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय की गई कृषि उपज का नाम तथा मात्रा		उपज का मूल्य
			कृषि उपज का नाम	क्रय की गई मात्रा (मेट्रिक टन में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

16. आवेदक फर्म के सभी क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपजों के कारबार के लिये कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्तियों/सेवकों की सूची-

अनुक्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता	दूरभाष क्र०	आवंटित कार्य एवं दायित्व (आवंटित कार्य में किसी परिवर्तन की दशा में प्रशासनिक मण्डी समिति को सूचना दी जायेगी।	फर्म कम्पनी/सोसायटी में स्वामी/भागीदार/संचालक/प्रबंधक आदि के रूप में पदीय हैसियत	हस्ताक्षर के नमूने (दो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

17. कम्पनी/फर्म/सोसायटी के कारबार का प्रमुख स्थान, मुख्यालय, कार्यालय तथा शाखाओं की सूची-

अनुक्रमांक	कारबार का मुख्य स्थान	मुख्यालय/कार्यालय	शाखाओं के नाम/पते	शाखा प्रभारी का नाम, पता, दूरभाष क्रमांक-कार्यालय/निवास	कार्यालय प्रमुख का नाम/पता/दूरभाष क्रमांक-कार्यालय/निवास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

18. क्या आवेदक एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगणों में क्रय करना चाहता है ? यदि हाँ तो निम्नलिखित जानकारी दें :-

अनुक्रमांक	मण्डी समिति एवं मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण का नाम	मण्डी/उप-मण्डी प्रांगण में उपलब्ध गोदाम/दुकान का विवरण
(1)	(2)	(3)

19. क्या आवेदक राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारक है या पूर्व में रहा है ? यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण दें :-

अनुक्रमांक	फर्म एवं मण्डी समिति का नाम	अनुज्ञप्ति वर्ष	अनुज्ञप्ति का प्रकार (विगत वर्ष के दौरान) क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा एवं मूल्य	भुगतान की गई मण्डी फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

20. (एक) क्या किसी मण्डी समिति द्वारा पिछले पांच वर्षों में अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द की गई है ?

(दो) क्या मण्डी समिति द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है ?

यदि हाँ, तो कारण दें :-

21. अधिसूचित कृषि उपज के नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति अपेक्षित है

22. आवेदक द्वारा दर्शित/विनिर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्र पर वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अधिसूचित कृषि-उपज की कुल मात्रा-(अनुमानित) :

अनुक्रमांक	मण्डी क्षेत्र का नाम	अधिसूचित कृषि-उपज की प्रस्तावित क्रय मात्रा	
		कृषि-उपज का नाम	क्रय की प्रस्तावित मात्रा (मेट्रिक टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)

23. प्रस्तावित क्रय केन्द्रों की मण्डी/उपमण्डी प्रांगण से दूरी :-

अनुक्रमांक	मण्डी क्षेत्र का नाम	मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण का नाम	प्रस्तावित केन्द्र का नाम	मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण की ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय की सीमा से क्रय केन्द्र की दूरी (कि०मी० में)	प्रसंस्करणकर्ता/व्यापारी, एक्सचेंज आवेदक के प्रसंस्करण संयंत्र से क्रय केन्द्र की दूरी (कि०मी० में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

24. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है, मैं/हम उनका समुचित पालन करूंगा/करेंगे तथा वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

निवेदन है कि वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति फीस रूपये तथा प्रतिभूति रूपये स्वीकार कर दर्शित/विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कारबार करने हेतु 01 अप्रैल से 31 मार्च वर्ष के लिये विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा
(पदीय हैसियत सहित)

घोषणा

मैं/हम, आवेदक, एतद्वारा, निष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/करते हैं कि आवेदन-पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है तथा सही अभिलिखित की गई है और कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, नियम, उपविधि, नियमावली उचित रूप से पढ़ लिये हैं, उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये ही अधिसूचित कृषि उपज का कारबार किया जायेगा।
3. अधिसूचित कृषि उपज का विक्रेताओं को देय भुगतान या मण्डी समिति को देय मण्डी फीस के भुगतान के संबंध में कोई मामला किसी मण्डी समिति अथवा किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।
4. अधिनियम, नियम, उपविधि, नियमावली, दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन किये जाने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।
5. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि बोर्ड या मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
6. आवेदक, अनुज्ञप्ति के लिये विहित आवेदन फीस एवं आवेदन-पत्र से संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है।
7. अनुज्ञप्ति का आवेदन-पत्र के अनुमोदन से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के सात दिन के भीतर आवेदक द्वारा विहित अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति आपके कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्न : 1.

2.

3.

स्थान :

दिनांक :

भागीदारों/संचालकों के हस्ताक्षर

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रूपये पैसे (शब्दों में) (रूपये) धन रसीद क्रमांक दिनांक के अनुसार, अनुज्ञप्ति फीस के रूप में प्राप्त किये और रजिस्टर में अनुक्रमांक पर प्रविष्टि की गई।

(लिपिक)

(लेखापाल)

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेखा बहियों का खाते (लेजर) से सत्यापन विनिर्दिष्ट मण्डी समिति द्वारा कर लिया गया है तथा सम्पूर्ण वर्ष के लिये आवेदक द्वारा किये गये क्रयों के मूल्य पर रूपये मण्डी फीस और रूपये निराश्रित शुल्क जमा करा दिया गया है। आवेदक ने वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने हेतु निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रतिभूति राशि रूपये की सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी है :-

(क) रूपये के लिये सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी क्रमांक
बैंक का नाम

(ख) बैंक गारंटी रूपये बैंक तथा शाखा का नाम
तारीख तक के लिये वैध.

(लेखापाल)

(सहायक लेखाधिकारी)

लेखाधिकारी

3. विशेष अनुज्ञप्ति अस्वीकृत किये जाने के संबंध में जारी आदेश का क्रमांक दिनांक

या

स्वीकृत की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक

संबंधित सहायक

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

प्ररूप - दो

(नियम 7 देखिये)

घोषणा-पत्र

1. मै/हम यह वचन देता हूँ/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा क्रय केन्द्र पर की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेता को धारा 37 की शर्तों के अधीन उसी दिन किया जाएगा।
2. मै/हम यह भी वचन देता हूँ/देते है कि धारा 37 की शर्तों के उल्लंघन की दशा में छठवें दिन, धारा 37 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी और मुझे/हमें या हमारे किसी भी नातेदार को आगामी एक वर्ष तक की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जायेगी और ऐसा होने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. मै/हम यह वचन देता हूँ/देते है कि यदि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये वचन ओर अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबंधों का मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो प्रशासनिक मण्डी समिति एवं अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति रद्द करने देने का अधिकार होगा, जिसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. मै/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते है कि मेरे/हमारे नाम पर आवेदन-पत्र की तारीख को मध्यप्रदेश में निम्नलिखित जंगम/स्थावर संपत्ति उपलब्ध है जिस पर मेरा/हमारा विधिक स्वामित्व है :-

जंगम संपत्ति	बैंक/ब्रांच का नाम	खाता क्रमांक	जमा रकम
(क) चालू (करण्ट) खाते में जमा रकम			
(ख) बचत खाते में जमा रकम			
(ग) सावधि (फिक्सड) में जमा			
(घ) अन्य जमा रकम			
योग			

2. स्थावर संपत्ति	स्थान	क्षेत्रफल	अनुमानित बाजार मूल्य
(क) भूमि			
(ख) भवन/दुकान/कारखाना/गोदाम			
(ग) अन्य संपत्ति			
योग			

3. मै/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते है कि आवेदन की तारीख को मेरे/हमारे नाम निम्नलिखित जंगम स्थावर सम्पत्ति उपलब्ध है, जिस पर मेरा/हमारा विधिक स्वामित्व है।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम, पदाभिधान/हैसियत
पूरा पता

प्ररूप - चार

(नियम 6 देखिये)

प्रतिभूति के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री फर्म/कम्पनी/सोसायटी
निम्नानुसार विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में व्यापारी के रूप में कार्य करना चाहता/चाहती है और इस प्रयोजन के लिये
वह एतद्द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को आवेदन कर रहा/रही है :-

क्रमांक (1)	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति का नाम (2)

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ दर्शित/विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिये स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों की सूची संलग्न की गई है।

2. अनुज्ञप्ति फीस के मद्दे में रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) बोर्ड के पक्ष में आहरित का एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक तारीख इसके साथ संलग्न है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा रूपये के लिये प्रतिभूति के रूप में बोर्ड के पक्ष में बनाई गई सावधि जमा रसीद (एफ0डी0आर0) बैंक गारंटी क्रमांक तारीख संलग्न है।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा क्रय केन्द्र पर की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेताओं को उसी दिन नहीं किया जाता है तो मण्डी समिति के पक्ष में बनाई गई उपरोक्तानुसार सावधि जमा रसीद (एफ0डी0आर0) बैंक गारंटी से भी विक्रेता को देय बकाया राशि का भुगतान करने की शक्ति प्रशासनिक मण्डी समिति के सचिव में निहित होगी।

5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सावधि जमा बैंक गारंटी द्वारा रकम जमा करने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा क्रय की जाने वाली कृषि उपज के भुगतान की कोई जोखिम विक्रेताओं की नहीं है।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पदनाम/हैसियत

प्रारूप 5-अ

अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन
व्यापार हेतु

फोटो

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष/भारसाधक महोदय,
कृषि उपज मण्डी समिति, (M0प्र0)

आवेदन क्रमांक
दिनांक

1. आवेदक मण्डी में जिस नाम से व्यवसाय करना चाहता है।
2. क्या आवेदक फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/व्यक्तिगत /कम्पनी/सरकारी संस्था है।
3. आवेदक फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/कम्पनी/ सरकारी संस्था/व्यक्तिगत है।

नाम उम्र पता टेलिफोन नं. आरक्षित केन्द्र का नाम

4. आवेदक फर्म/कम्पनी/सरकारी संस्था है तो पंजीयन क्रमांक एवं तिथि।
5. आवेदक का वाणिज्य कर पंजीयन क्रमांक एवं केन्द्रीय कर पंजीयन क्रमांक
6. आवेदक का इन्कम टैक्स स्थायी खाता क्रमांक
7. आवेदक का मिन बैंकों में खाता है उन बैंकों के नाम एवं खाता क्रमांक।
8. आवेदक फर्म / कम्पनी / सरकारी संस्था/ व्यक्तिगत है तो पूंजी नियोजन कितना है।
9. आवेदक के कारोबार का मुख्य स्थान एवं : कारोबार का मुख्य स्थान
शाखाओं के पते एवं कृषकों को भुगतान : भुगतान स्थल का पता
करने वाले स्थान का पूर्ण पता। : शाखाओं के नाम एवं पता
.....

10. आवेदक द्वारा कृषक से क्रय की गई : गोदाम का विवरण पता
 अधिसूचित कृषि उपज कहां पर भण्डारण : 1.
 की जावेगी ऐसे गोदाम एवं फेक्ट्री स्थान 2.
 के पते : गोदाम की संग्रहण क्षमता -
 : गोदाम भवन के
 स्वामी का नाम -
11. प्रस्तावित कृषि उपज जिसका आवेदक
 व्यापार या कारोबार करना चाहता है।
12. आवेदक की ओर से मण्डी नीलामी एवं 1. नाम संबंध
 तौल कार्य हेतु सहायका के नाम एवं उनसे उम्र
 संबंध। पता
 2. नाम
 उम्र
 पता
13. आवेदक पूर्व अनुज्ञप्ति ग्रहिता है तो गत
 वर्ष का लायसेंस क्रमांक किन्तु नवीन
 अनुज्ञप्ति हो तो व्यवसाय व्यापार प्रारंभ
 दिनांक।
14. आवेदक द्वारा गत वर्ष में किस दिवस को
 अधिकतम कृषि उपज क्रय की गई है।
 उसका दिनांक, मूल्य एवं वजन दें।
15. मै/हम घोषित करता/करती हूं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 तत्वाधीन
 नियम एवं उपविधियां भलीभांति पढ़ी एवं समझी है। मै/हम उनका यथाविधि पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे,
 तथा वे मुझे/हमें मान्य होंगे।

निवेदन है कि मण्डी वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च हेतु संलग्न अनुज्ञप्ति
 शुल्क रूपये तथा प्रतिभूति रूपये स्वीकार कर मण्डी वर्ष के लिये
 व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

घोषणा

मैं/हम आवेदक एतद् द्वारा शपथ पर घोषित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त सूचनायें मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है तथा सही अभिलिखित की गई है और कोई सूचना छिपाई नहीं गई है।

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल का भली-भांति अध्ययन कर लिया है और उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये कार्य किया जायेगा।
3. अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।
4. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि मण्डी समिति से जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का भी आवेदक द्वारा पालन किया जायेगा।
5. आवेदक अनुज्ञप्ति के लिये फीस एवं अभिलेख आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
(सभी भागीदारों/संचालकों के)

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रूपये पैसे (शब्दों में)
रसीद क्रं० दिनांक द्वारा प्राप्त कर अनुज्ञप्ति पंजी में
अनुक्रमांक पर प्रविष्टि किया गया है।

लेखापाल

लिपिक

2. मण्डी समिति द्वारा वर्ष के लेखा पुस्तकों का सत्यापन मण्डी रिकार्ड एवं व्यापारी द्वारा प्रस्तुत खातों से कर लिया गया है एवं सम्पूर्ण वर्ष में व्यापारी द्वारा क्रय मूल्य रूपये पर मण्डी शुल्क रूपया एवं निराश्रित शुल्क रूपया पूर्ण जमा करा दिया गया है।

लेखापाल

सहायक सचिव

सचिव

3. अनुज्ञप्ति स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मण्डी समिति के ठहराव क्रमांक दिनांक के अनुसरण में आदेश।

4. स्वीकृति की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक

सचिव

लिपिक

(मण्डी क्षेत्र के बाहर निवा करने वाले आवेदन के लिये)

- (1) आवेदक म0प्र0 के किस मण्डी क्षेत्र का निवासी है।
- (2) क्या उस मण्डी क्षेत्र में वह इस नाम से या अन्य नाम से मण्डी लायसेंस है।
- (3) इस मण्डी क्षेत्र में उसे लायसेंस की क्यों आवश्यकता हुई।
- (4) क्या म0प्र0 की अन्य और मण्डियों में आवेदक के पास मण्डी लायसेंस है, उनके नाम।
- (5) क्या आवेदक म0प्र0 में प्रसंस्करणकर्ता है, है तो किस जगह।
- (6) आवेदक जहां का मूल निवासी है, वहां का प्रमाण-पत्र (तहसीलदार)
- (7) आवेदक म0प्र0 में जहां का मूल निवासी है, वहां पर उसकी सम्पत्तियों की जानकारी (मय प्रमाण के)
- (8) आवेदक कृषकों के भुगतान हेतु 3 लाख की बैंक ग्यारंटी का नम्बर एवं बैंक का नाम।
- (9) स्थानीय मण्डी में गत् तीन वर्षों से कार्यरत किन्ही 2 (1)
लायसेंसियों के पहचान पत्र प्रस्तुत करें। (2)

उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि इसमें असत्यता पाई जावे तो मण्डी समिति को मेरे विरुद्ध सभी तरह की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

सभी भागीदार/व्यक्तिगत/प्रबंधक

प्रारूप 5-ब

अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन
(प्रसंस्करणकर्ता के उपयोग हेतु)

प्रति,

आवेदक पत्र क्रमांक
दिनांक

श्रीमान अध्यक्ष/भारसाधक महोदय,
कृषि उपज मण्डी समिति, (म0प्र0)

1. इकाई/आवेदक का नाम
2. पत्र व्यवहार का पता
3. टेलिफोन नम्बर
4. इकाई की श्रेणी लघुउद्योग/निर्माण इकाई/अति लघुउद्योग/वृहत उद्योग
5. इकाई स्थल का पता
6. संगठन का प्रकार एवं भागीदारी/निजी कंपनी/सहकारी/स्वामित्व/अन्य मालिक के नाम एवं पते
7. कार्यकलाप का प्रकार निर्माण/जाब वर्क/
8. कौन सी अधिसूचित कृषि उपज का उपयोग किया जावेगा
9. निर्मित होने वाली वस्तुओं के नाम एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता

नाम

वार्षिक उत्पादन क्षमता

1.
2.
3.

10. पूंजी निवेश (अचल संपत्तियों में)

1. भूमि

2. भवन

3. यंत्र संयंत्र

योग रू०

11. वर्ष में कच्चे माल की आवश्यकता

1. मण्डी

2. अन्य जगह में

कुल

12. विद्युत भार

13. क्या इकाई फेक्ट्रीएक्ट के अंतर्गत पंजीयन है हां/नहीं

14. सेवारत कर्मचारियों की कुल संख्या

15. मैं/हम घोषित करता/करती हूँ कि मैंने/हमने म०प्र०कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 तदाधीन नियम एवं उपविधियां भलीभांति पढ़ी समझी है मैं/हम उनका यथा विधि पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे तथा वे मुझे/हमें मान्य होंगे।

स्थान :

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा आदि आवश्यक)

घोषणा

मैं/हम आवेदक एतद् द्वारा शपथ पर घोषित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त सूचनायें मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है तथा सही अभिलिखित की गई है और कोई सूचना छिपाई नहीं गई है।

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल का भली-भांति अध्ययन कर लिया है और उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये कार्य किया जायेगा।

3. अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वधीन होगी।

4. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि मण्डी समिति से जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का भी आवेदक द्वारा पालन किया जायेगा।

5. आवेदक अनुज्ञप्ति के लिये फीस एवं अभिलेख आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा है।

स्थान :

तिथि :

हस्ताक्षर

(एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर पर्याप्त है)

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रूपये पैसे (शब्दों में)
मात्रा क्र० र०क्र० तिथि द्वारा प्राप्त कर अनुज्ञप्ति पंजी में
अनुक्रमांक पर प्रविष्टि किया गया है।

लेखापाल

लिपिक

2. अनुज्ञप्ति स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मण्डी समिति के ठहराव क्रमांक
दिनांक के अनुसरण में आदेश।

सचिव

4. स्वीकृति की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक

लिपिक

अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.....

हम्माल/तुलैया/सर्वेक्षक/भण्डागारिक/परिवहन हेतु आवेदन फार्म

- 1- यह कि आवेदक मण्डी क्षेत्र में विगत वर्ष से अधिसूचित कृषि उपज से संबंधित हम्माल/तुलैया/सर्वेक्षक/भण्डागारिक/परिवहन का कार्य कर रहा है।
- 2- आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्था का पालन करते हुये उपरोक्त कृत्यकारी के रूप में कार्य किया गया है।
- 3- अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।
- 4- आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि मण्डी समिति से जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का पालन किया जावेगा।
- 5- अनुज्ञप्ति क्र०/टोकन क्र०
- 1- आवेदक का पूरा नाम
- 2- पिता का नाम
- 3- फर्म का नाम
- 4- पूरा पता
- 5- टेलिफोन/मो०नं०
- 6- स्थाई पता
- 7- गोदाम की संग्रहण क्षमता
- 8- गोदाम में संग्रहित की जाने वाली कृषि उपज की जानकारी संलग्न करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप-छः

घोषणा पत्र

(उपविधि 18(3) के अन्तर्गत)

1. मैं/हम घोषणा करते हैं कि क्रय क्षमता लाख रूपये तक की है। एक दिन की अधिकतम खरीदी का मूल्य।

2. यह भी घोषित किया जाता है कि कृषि उपज के विक्रेता को उसी दिन भुगतान किया जायेगा, यदि उसी दिन भुगतान नहीं किया जाता है तो कृषि उपज के मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान सहित पूरा भुगतान 5 दिन में कर दिया जायेगा अन्यथा 6 वें दिन अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी और मुझे/हमें या हमारे उन रिश्तेदारों को जैसा कि अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में उल्लेखित है। आगामी एक वर्ष की कालावधि में कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जायेगी और मेरी/हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी एवं यह भी घोषित किया जाता है कि, क्रय क्षमता को प्रमाणित करने के लिये जो सामूहिक/व्यक्तिगत प्रतिभूति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे रद्द समझा जायेगा।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पूरा पता

वचन पत्र

(उपविधि के नियम 18(3) के परन्तुक के अंतर्गत)

..... (बैंक का नाम)(फर्म या आवेदक व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता का नाम) के संबंध में यह वचन दिया जाता है कि यदि उक्त फर्म/व्यक्ति किसी विक्रेता का रू० तक का भुगतान नहीं करता है तो यह बैंक, मण्डी समिति के सचिव से लिखित में सूचना प्राप्त होते ही मण्डी समिति के खाते में रूपये तक का धन विक्रेता को भुगतान के लिए जमा करेगा।

यह वचन पत्र दिनांक तक वैध है।

प्रबंधक

..... बैंक

शाखा

प्रारूप-सात

सामूहिक प्रतिभूति की दशा में प्रमाण पत्र

(उपविधि क्रमांक 18(3) के अन्तर्गत)

यह प्रमाणित किया जाता है कि, श्री
पुत्र श्री फर्म
कृषि उपज मण्डी समिति, जिला के क्षेत्र में व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/
पक्का आढ़तिया कृत्यकारी के रूप में कार्य करना चाहता है एवं इस हेतु वह मण्डी समिति को नियमानुसार
आवेदन कर रहा है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, आवेदन की क्रय क्षमता उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में
उल्लेखित राशि रूपया तक की है एवं इतनी राशि तक आवेदक द्वारा कृषि उपज के
विक्रेता/विक्रेताओं को भुगतान नहीं किया जाता है तब इसका भुगतान इस एसोसियेशन द्वारा कृषि उपज मण्डी
समिति, जिला के पक्ष में बनवाई गई सावधि जमा क्रमांक
से जमा राशि/स्थावर सम्पत्ति में से किया जायेगा एवं इसकी पूर्ति तत्काल की जायेगी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त आवेदक से कृषि उपज के विक्रेताओं को किसी प्रकार
की जोखिम नहीं है।

स्थान

मुद्रा सहित हस्ताक्षर

दिनांक

व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम

पूरा पता

प्रारूप-सात "अ"

व्यक्तिगत प्रतिभूति की दशा में प्रमाण पत्र

(उपविधि क्रमांक 18(4) के अन्तर्गत)

यह प्रमाणित किया जाता है कि, श्री
पुत्र श्री फर्म
कृषि उपज मण्डी समिति, जिला के क्षेत्र में व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/
पक्का आढ़तिया कृत्यकारी के रूप में कार्य करना चाहता है एवं इस हेतु वह मण्डी समिति को नियमानुसार
आवेदन कर रहा है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, आवेदन की क्रय क्षमता उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में
उल्लेखित राशि रू तक की है एवं इतनी राशि तक आवेदक द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/
विक्रेताओं को भुगतान नहीं किया जाता है तब इसका भुगतान मेरे/हमारे द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति,
जिला के पक्ष में बनवाई गई सावधि जमा क्रमांक से जमा राशि/स्थावर सम्पत्ति
में से किया जायेगा एवं इसकी पूर्ति तत्काल की जायेगी। मेरे/हमारे द्वारा जमा नगद प्रतिभूति से की जाएगी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, आवेदक से विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम नहीं है।

स्थान

मुद्रा सहित हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा पता

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति

प्रारूप-8

..... जिला (म0प्र0)

अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र

अधिनियम क्र० घाए 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत

क्रमांक

दिनांक

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/फर्म (पूरा पता)
.....
को आज दिनांक को कृत्यकारी
के रूप में अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। यह अनुज्ञप्ति दिनांक तक
प्रभावशील रहेगी।

सचिव

अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी

2. अनुज्ञप्तिधारी के आचरण का परीवेक्षण कर लिया गया है। फलस्वरूप अनुज्ञप्ति जीवन
भर के लिये वेद्य है।

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।

- (क) अनुज्ञप्तिधारी का आचरण मण्डी समिति के हित में नहीं होने पर।
(ख) मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर
निलंबित अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित एक
माह में भुगतान नहीं करने पर।
(ग) मण्डी अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर।
(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मण्डी समिति से जारी सूचना पत्र मांग पत्र में उल्लेखित
अवधि में राशि जमा न करने पर।
(ङ) विवरणियां नियतकालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।